गोपनीय

संख्या:- जी0आई-81 आर/छ:-पु0-5-2(190)/94

प्रेषक,

के0के0बाजपेयी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक:16 नवम्बर, 1994

विषय:-निषिद्ध बोर एवं अर्धस्वचालित शस्त्रों की बिक्री हेतु अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निषिद्ध बोर एवं अर्ध स्वचालित शस्त्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकार वर्तमान में भारत सरकार, गृह मंत्रालय में निहित हैं। अत: ऐसे शस्त्रों की बिक्री की अनुमति का मामला भारत सरकार को संदर्भित किया गया था। भारत सरकार ने सूचित किया है कि आयुध नियमावली 1962 की अनुसूची एक की श्रेणी (क) में शमिल निषिद्ध शस्त्रों की विक्री करने से पूर्व आयुध अधिनियम 1959 की धारा -7 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है शेष सभी प्रकार के आग्नेयास्त्रों की बिक्री शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 5 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या-1/-11026/60/94-शस्त्र दिनांक -27 जुलाई, 1994 की प्रतिलिपि आपके पथ प्रदर्शनार्थ संलग्न है।

अनुरोध है कि आग्नेय शस्त्रों की बिक्री की अनुमति के विषय में कृपया तदनसार अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0के0बाजपेयी)
उप सचिव